



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). दिनांक 24.06.2026 को चित्रकूट जनपद में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में नव सृजित पुलिस चौकी भरतकूप मन्दिर थाना भरतकूप का विधिवत उद्घाटन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काटकर एवं परिसर का निरीक्षण कर किया गया। पुलिस अधीक्षक ने नवनिर्मित भवन, कार्यालय कक्ष, अभिलेख कक्ष, आगन्तुक कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि नव सृजित पुलिस चौकी भरतकूप मन्दिर के संचालन से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित पर्यटन, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आमजन को त्वरित एवं सुलभ पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उद्घाटन कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, पीआरओ श्री पंकज तिवारी, नवीन चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री बलवंत यादव सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

(3) . पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डेहा उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा अपराधिक षड़यंत्र रच झूठे अपहरण की कहानी बनाने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1. धीरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र बदीप्रसाद निवासी लवेद थाना मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक/समय-

चन्दई तिराहा/24.06.2026/10.53 बजे

संक्षिप्त विवरण-

वादी धीरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र बदी प्रसाद सिंह निवासी लबेध थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि दिनांक 21/06/2026 को शाम अपने घर से अपनी पत्नी छाया बच्चा व अपने साले कविराज के साथ एक व्यक्ति से मिलने मऊ आया था। मिश्रा होटल पर समोसा, चाट खाकर घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में खपटिहा मोड़ के पहले 02 दोपहिया और एक चार पहिया मिली जिसमें अवधेश निवासी मऊ का पुरवा व उसका रिश्तेदार शंकर पुत्र धर्मराज निवासी जरिहा वा शंकर का छोटा भाई भी था और दो तीन महिलाएं व पुरुष चार पहिया से निकलकर रास्ते में रोका और हम लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट गाली गलौज की जिससे उसे व उसकी पत्नी को चोटे आयी और मारपीट करते हुए साले कविराज को उठाकर ले गये और मारपीट के दौरान मेरी पत्नी का गले का लॉकेट व पत्नी छाया जो की 60000 रूपी थी जो कही गिर गये है। सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 214/26 धारा 140(1),115(2),351(3),352 बीएनएस पंजीत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा विवेचना चौकी प्रभारी खण्डेहा उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय को सुपुर्द की गयी। विवेचना के क्रम में दिनांक 24.06.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिस अपहृत लडके की तलाश में आप जा रहे है वह लडका तिलौली रोड़ से चन्दई जाने वाले तिराहे पर एक व्यक्ति के साथ खड़ा है अगर जल्दी किया जाए तो बरामद किया जा सकता है पुलिस टीम द्वारा चन्दई तिराहे पर पहुंचकर खड़े हुये व्यक्तियों को दबिश पकड़ लिया पूछताछ की गई तो बच्चे ने अपना नाम कविराज पुत्र अमरजीत निवासी रानीगंज थाना शंकरगढ जिला प्रयागराज हाल निवासी लबेद थाना मऊ

जनपद चित्रकूट बताया जो मुकदमा उपरोक्त में अपहृत है जिसको सकुशल बरामद किया गया। साथ में खड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूँछा तो उसने अपना नाम धीरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र बदी प्रसाद निवासी लबेद मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट बताया जो मुकदमा उपरोक्त में वादी है धीरेन्द्र सिंह पटेल से पूँछा गया कि कविराज के अपहरण का आपके द्वारा थाने में मुकदमा लिखाया गया है फिर कविराज आपके पास कहां से आया है इस पर धीरेन्द्र सिंह ने माफी मांगते हुए बताया कि मेरे साले कविराज का अपहरण नहीं हुआ था। मैंने अपने साढ़ू शंकर निवासी जरिया को झूठे मुकदमे में फसाने के लिए अपने साथी रामशिरोमणि पुत्र ललवा निवासी चन्दई और धर्मेन्द्र पुत्र मुलता निवासी निजामपुर झगराहट के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 21/06/2026 को रात 09.30 बजे के आसपास खपटिहा चौराहा नीबी के पास बुलाकर अपने साले को रामशिरोमणि और धर्मेन्द्र के साथ रामशिरोमणि के घर पर भेज दिया और अपने व अपनी पत्नी छाया के हाथ पैर धर्मेन्द्र ने बांध दिए और मुझे सड़क के किनारे लिटा दिया फिर मेरे बच्चे द्वारा रास्ते में जा रही किसी व्यक्ति से घर पर फोन द्वारा सूचना करा दी फिर पुलिस आ गयी और मुझे और मेरी पत्नी को अस्पताल लेकर गये इलाज कराया फिर थाने में मेरे द्वारा शंकर व अवधेश व दो-तीन व्यक्ति अज्ञात के खिलाफ कविराज के अपहरण का झूठा मुकदमा लिखा दिया था। क्योंकि इससे पहले शंकर ने उसके ऊपर बलात्कार का अभियोग पंजीकृत करा दिया था इसी का बदला लेने के लिये मैंने यह मुकदमा लिखाया था

वादी मुकदमा द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140 (1)/115(2)/351 (3)/352 BNS के अपराध का होना नहीं पाया गया इन धारा का लोप कर वादी मुकदमा द्वारा झूठा मुकदमा लिखाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 248ख/3(5)/61 (2) BNS का अपराध अपने साथियों के साथ मिलकर किया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. चौकी प्रभारी खण्डेहा उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय
2. हे० का० पवन कुमार तिवारी

(4) . प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग सेन्टर में लगी भयानक आग के दृष्टिगत तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा लखनऊ के आदेश के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अग्निशमन सुरक्षा, बचाव, जागरूकता के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार त्यागी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी चित्रकूट के द्वारा अभियान चलाकर कोचिंगों का निरीक्षण किया गया।

जनपद चित्रकूट के विभिन्न कोचिंग का निरीक्षण किया गया तथा अग्निसुरक्षा उपकरणों का रख-रखाव आग के खतरों को कम करने व किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित पलायन के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन प्रशिक्षण / मॉकड्रिल का आयोजन कराया गया अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी दी गई।

निरीक्षण किये गये कोचिंग सेन्टर निम्नवत है।

1. लक्ष्य लाइब्रेरी, बस स्टैण्ड के पास, कर्वी।
2. विद्यानिकेतन लाइब्रेरी, चकरेही, कसहाई रोड, कर्वी।
3. राष्ट्रीय कम्प्यूटर शिक्षा मिशन, शंकर बाजार, कर्वी।
4. फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी, जनसेवा इण्टर कॉलेज के पास, कर्वी
5. एस्टडी जोन लाइब्रेरी, प्रयागराज रोड, ईटा मण्डी, कर्वी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा आमजन की सहायता हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री

एम.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में एसओजी टीम के आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उसके स्वामी को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 25.06.2026 को आवेदिका प्रीति माथुर द्वारा सर्विलांस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनका नया आईफोन-17, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 रुपये है, रजिस्ट्री कार्यालय कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के पास गुरुवार दोपहर लगभग 02 बजे कहीं गिरकर खो गया है। मोबाइल में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं आवश्यक डाटा होने के कारण आवेदिका काफी चिंतित थीं।

सूचना प्राप्त होते ही आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा (एसओजी, चित्रकूट) द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तकनीकी संसाधनों एवं सर्विलांस की सहायता से मोबाइल की तलाश प्रारम्भ की गई। अथक प्रयास, सूझबूझ एवं तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए टीम ने मात्र 03 घंटे के भीतर खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद कर लिया।

मोबाइल बरामद होने के उपरांत उसे विधिवत आवेदिका प्रीति माथुर को सुपुर्द किया गया। अपना कीमती मोबाइल सकुशल वापस प्राप्त कर आवेदिका के चेहरे पर खुशी लौट आई तथा उन्होंने चित्रकूट पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए पुलिस टीम का बार-बार धन्यवाद व्यक्त किया।

(6). आज दिनांक 25.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में मोहर्म्म पर्व के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।